1314008/18.4.13

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-03/स0प0/टैक्सआडिट/2012-13/ 130 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अप्रैल, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,

<u>उत्तर प्रदेश।</u>

वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित टैक्स आडिट के प्रयोजनार्थ व्यापारियों के चयन हेतु कतिपय मानकों का निर्धारण करते हुए साफ्टवेयर विकसित कराया गया तथा साफ्टवेयर द्वारा चयनित व्यापारियों की सूची अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबंधित ज्वा0कमि0 (टैक्स आडिट) के लॉग इन पर उपलब्ध करायी गयी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश वि0अनु0शा0 अनुभाग के प0सं0-1971 दिनांक 5-3-2013 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

यद्यपि इस नवीन व्यवस्था के संबंध में कोई सुझाव / कठिनाई किसी भी स्थान से प्राप्त नहीं हुई है तथापि दिनांक 10-4-2013 को आयोजित हुई समीक्षा बैठक में कतिपय अधिकारियों द्वारा पूर्व प्रचलित व्यवस्था में विगत वर्षों में चयनित व्यापारियों के सापेक्ष वर्ष 2010-11 हेतु टैक्स आडिट के लिये लगभग दो गुने व्यापारियों का चयन होने, किसी-किसी जोन में पेट्रोल पम्प संचालकों तथा विगत वर्षों में टैक्स आडिट हेतु चयनित हो चुके व्यापारियों का भी वर्ष 2010-11 हेतु टैक्स आडिट के लिये चयन हो जाने की सूचना दी गयी है। टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-2 के उक्त प्रस्तर(ii) में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा व्यवस्था निर्धारित करते हुए व्यापारियों के लगभग 20प्रतिशत व्यापारियों का चयन किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः गुणवत्तापरक टैक्स आडिट किये जाने हेतु पूर्व में जारी प0सं0-1971 दिनांक 5-3-2013 द्वारा निर्गत निर्देशों को निम्न सीमा तक संशोधित किया जाता है -

- ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट) के लॉग इन पर चयनित व्यापारियों की उपलब्ध सूची के क्रमांक-01 से आरम्भ कर केवल प्रथम 50प्रतिशत व्यापारियों का टैक्स आडिट किया जाएगा।
- उक्तानुसार चयनित सूची में से निम्न श्रेणी के व्यापारियों का आडिट नहीं किया जाएगा -
  (i) पेट्रोल पम्प संचालक व्यापारी ;
  (ii) हकदारी प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष भी चयन टैक्स आडिट हेतु हुआ है।

तदनुसार टैक्स आडिट की कार्यवाही निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ प्रेषित।

ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर

मुख्यालय , लखनऊ